न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मुकेश कुमार कलाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2015 (GCMS 201/00042)	09.07.2015	24.03.2021

अनवान

1 नाथीया पिता भभूता जाति रावत मीणा आयु वयस्क निवासी सुरेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
2 बगदीया पिता भभूता जाति रावत मीणा आयु वयस्क निवासी सुरेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1 शंकरलाल पिता कालू जी जाति रावत मीणा आयु वयस्क निवासी सुरेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
2 भोपालसिंह पिता नवलसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी डूंगला. तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

–:: अपील कमांक/एलआर/3/2014 निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.07.2015 प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा0दी0अंतर्गत ::–

उपस्थिति :– श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री एमएल दक अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान के न्यायालय में अधिवक्ता छोगालाल जाट की ओर से प्रस्तुत की गयी जो वास्ते बहस दिनांक 08.07.2015 को नियत थी। उक्त पेशी पूर्व न्यायालय आप द्वारा दिनांक 22.06.2015 को लोक अदालत आयोजित की गयी व लोक अदालत के नोटिस जारी किये गये उक्त दिनांक को प्रार्थीगण न्यायालय आप में नोटिस की पालना में उपस्थित हुए जो कानून से अनभिज्ञ होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया परन्तु अधिवक्ता से मुकालात नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता भगवतसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गिलुण्डीया को अधिकार पत्र देकर उपस्थिति दिलवायी व प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया। लोक अदालत में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाने से उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 08.07.2015 को बहस हेतु नियत की गयी व 08.07.2015 को उक्त प्रकरण में बहस होनी थी व अपीलान्ट की ओर से अलग–अलग दो अधिवक्ता हो गये थे जिससे बाद में जो अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया वह अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहना बताते हुए अपील को नोटप्रेस कर दी, जिससे प्रकरण को नोटप्रेस में निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण कृषि आराजीयात के बंटवाडे का होकर महत्वपूर्ण है, जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अपील को पुनः संस्थित किये जाने हेतु पेश है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्दर मयाद पेश है। प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अपील को पुनः संस्थित का आदेश प्रदान कराया जावे।

इस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 30.07.2015 को अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता मनोहरलाल दक हाजिर आये। दिनांक 01.12.2015 को अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने बताया कि प्रकरण में पेशी दिनांक 22.06.2015 को उक्त प्रकरण में अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र पेश किया। पेशी दिनांक 08.07.2015 को अपीलांट की और से नियुक्त अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया ने उपस्थित होकर अपील को नोट प्रेस किया जिससे न्यायालय द्वारा अपील नोट प्रेस किये जाने अपील खारीज करने का आदेश प्रदान किया। इस भांति न्यायालय का आदेश न्याय संगत है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण की और से अपील को पुनः संस्थित हेतु कोई आधार नहीं है। और न ही इसका कोई कानूनी प्रावधान ही है। प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत आवेदन निराधार है, ऐसा कोई भी आधार प्रकट नहीं किया गया है जिससे प्रकरण को पुनः संस्थित किया जा सके। अपील नोट प्रेस करने से खारीज की गई है जो मेरिट पर निर्णित है। अपील को पुनः संस्थित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण की और से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर पत्रांक/रा.वि./02/15/(14.06)267 दिनांक 31.05.2017 से मूल पत्रावली तलब की गई। इस पर प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार के पत्रांक/निर्वा./अभिलेखागार/प.प्रे./2017/35 दिनांक 27.06.2017 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 19.03.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आयें। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि न्यायालय आप द्वारा दिनांक 22.06.2015 को लोक अदालत आयोजित की गयी व लोक अदालत के नोटिस जारी किये गये उक्त दिनांक को प्रार्थीगण न्यायालय आप में नोटिस की पालना में उपस्थित हुए जो कानून से अनभिज्ञ होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया परन्तु अधिवक्ता से मुकालात नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डीया को अधिकार पत्र देकर उपस्थिति दिलवायी व प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया। लोक अदालत में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाने से उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 08.07.2015 को बहस हेतु नियत की गयी व 08.07.2015 को उक्त प्रकरण में बहस होनी थी व अपीलान्ट की ओर से अलग–अलग दो अधिवक्ता हो गये थे जिससे बाद में जो अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया वह अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहना बताते हुए अपील को नोटप्रेस कर दी, जिससे प्रकरण को नोटप्रेस में निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि पेशी दिनांक 22.06.2015 को उक्त प्रकरण में अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र पेश किया। पेशी दिनांक 08.07.2015 को अपीलांट की और से नियुक्त अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया ने उपस्थित होकर अपील को नोट प्रेस किया जिससे न्यायालय द्वारा अपील नोट प्रेस किये जाने अपील खारीज करने का आदेश प्रदान किया। इस भांति न्यायालय का आदेश न्याय संगत है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण की और से अपील को पुनः संस्थित हेतु कोई आधार नहीं है। और न ही इसका कोई कानूनी प्रावधान ही है। प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत आवेदन निराधार है, ऐसा कोई भी आधार प्रकट नहीं किया गया है जिससे प्रकरण को पुनः संस्थित किया जा सके। अपील को पुनः संस्थित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण की और से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण कृषि आराजीयात के बंटवाडे का होकर महत्वपूर्ण है, जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अपील को पुनः संस्थित किये जाने हेतु पेश है। इस हेतु प्रार्थीगण की और से अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 की अतिरिक्त दाद चाही गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चततम न्यायालय के निर्णय **Tahil Ram Issardas Sadarangani ... vs Ramchand Issardas Sadarangani on 16 October, 1992** की प्रति एवं न्यायिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दृष्टांत **AIR 1993 SC 1182, 1993 Supp (3) SCC 256** का अवलोकन कराया। एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांट को पुनः संस्थित किया जावें। हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। मूल अभिलेख राजस्व अपील 003/2014 निर्णय दिनांक 08.07.2015 को आद्यौपान्त अवलोकन/परिशीलन किया गया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। मूल अभिलेख राजस्व अपील 003/2014 निर्णय दिनांक 08.07.2015 को आद्यौपान्त अवलोकन/ परिशीलन किया गया। तथ्यों का मनन किया। हमने आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 में प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

19 Re-admission of appeal dismissed for default— Where an appeal is dismissed under rule 11, sub-rule (2) or rule 17 or rule 18, the appellant may apply to the Appellate Court for the re-admission of the appeal; and, where it is proved that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing or from depositing the sum so required, the Court shall re-admit the appeal on such terms as to costs or otherwise as it thinks fit.

151 Saving of inherent powers of Court— Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court.

अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 के प्रावधानानुसार जहॉ अपील नियम 11 के उपनियम (2) या नियम 17 के अधीन खारीज की जाती है वहां अपीलार्थी अपील न्यायालय में अपील के पुनः ग्रहण किये जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और जहां यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से या ऐसी अपेक्षित राशि निक्षिप्त करने के किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था वहां न्यायालय खर्चे संबंधी या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझें, अपील को पुनः ग्रहण करेगा। इसके साथ ही अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के प्रावधानानुसार न्यायालय किसी भी समय और खर्च–संबंधी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाया गए या उस पर अवलंबित वास्तविक प्रश्न या विवाद्यक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हस्तगत मूल अपील अपीलांट की और से दिनांक 13.05.2014 को प्रस्तुत की गई। जो बाद जांच दिनांक 15.05.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 22.06.2015 को अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया द्वारा अपीलांट की और से अधिकार पत्र पेश किया एवं आगामी पेशी दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.07.2015 नियत की गई। दिनांक 08.07.2015 को अधिवक्ता अपीलांट भगवतसिंह गिलुण्डिया हाजिर आये एवं आदेशिका पर **"Appellant no instructions"** अंकित किया। इस पर न्यायालय द्वारा वकील अपीलांट ने अपील नोट प्रेस की है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया द्वारा आदेशिक पर अंकित किया कि **"Appellant no instructions"** ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अपीलांट को न्याय हित में सूचित किया जा सकता था। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2015 के अप्रसन्न होकर दिनांक 09.07.2015 को ही न्यायालय में अपील के पुनः संस्थित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। इसके साथ ही मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत अपील का गुणावगुण पर निर्णय नहीं होकर मात्र व्यतिक्रम में प्रकरण का निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में एवं विधि द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से हस्तगत राजस्व अपील 003/2014 निर्णय दिनांक 08.07.2015 को **Set aside** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रकरण राजस्व अपील संख्या 003/2014 अनवानी नाथीया वगैराह बनाम शंकर वगैराह निर्णय दिनांक 08.07.2015 को पुनः सुनवाई हेतु रेस्टोर (संस्थित) किया जाता है। प्रकरण पुनः नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल अपील संख्या 003/2014 निर्णय दिनांक 08.07.2015 के हम किता किया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested